भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3016
दिनांक 19.03.2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय युवा संसद योजना

3016. श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
डॉ. भोला सिंहः
श्री अनुराग शर्माः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) पोर्टल की समाज के सभी वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित वर्गों के युवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) एनवाईपीएस में प्रतिवर्ष भाग लेने वाले शैक्षणिक संस्थानों की संख्या के संबंध में आंकड़े क्या हैं;
(ग) क्या मंत्रालय को एनवाईपीएस में भाग लेने के दौरान आने वाली चुनौतियों के संबंध में छात्रों और संस्थानों से कोई फीडबैक प्राप्त हुआ है; और
(घ) यदि हां, तो उक्त चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री ; (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) वेब पोर्टल का उन्नत संस्करण जारी किया है, जिसे एनवाईपीएस 2.0 के नाम से जाना जाता है। मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों

तक सीमित पिछले संस्करण के विपरीत, एनवाईपीएस 2.0 देश भर के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति, लिंग, जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, क्षेत्र और स्थान कुछ भी हो। प्रतिभागिता को निम्नलिखित तरीकों से सुगम बनाया जा सकता है: -

(i) संस्थान द्वारा प्रतिभागिता: सभी शैक्षणिक संस्थान पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार युवा संसद की बैठकें आयोजित करके इस श्रेणी के अंतर्गत भाग ले सकते हैं। कक्षा VI से XII तक के विद्यार्थियों का चयन "किशोर सभा" उप-श्रेणी के लिए किया जा सकता है तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों का चयन "तरुण सभा" उप-श्रेणी के लिए किया जा सकता है।

(ii) समूह द्वारा प्रतिभागिता: नागरिकों का समूह, पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार युवा संसद की बैठकें आयोजित करके इस श्रेणी के अंतर्गत भाग ले सकता है।

(iii) व्यक्तिगत प्रतिभागिता: कोई भी नागरिक 'क्रियाशील भारतीय लोकतंत्र' विषय पर प्रश्नोत्तरी के जवाब देकर इस श्रेणी के अंतर्गत भाग ले सकता है।

(ख) एनवाईपीएस पोर्टल पर प्रतिभागिता की इकाई एक संस्था नहीं बल्कि पंजीकरण है और वर्तमान में युवा संसद के आयोजन के लिए पंजीकरण की संख्या के संबंध में वर्षवार आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**वर्ष**	**कुल पंजीकरण**
1.	2019-20	4369
2.	2020-21	3579
3.	2021-22	65
4.	2022-23	2337
5.	2023-24	1346
6.	2024-25	7261 (दिनांक 17-03-2025 तक)

(ग) और (घ) हां, मंत्रालय को समय-समय पर छात्रों और संस्थानों से उनकी चुनौतियों और चिंताओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त होता है और उस पर अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

*****